



प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग
"व्यवस्थापन ग" वर्ग उत्तराखण्ड देहरादून
OFFICE OF THE ENGINEER IN CHIEF, P.W.D., DEHRADUN, UTTARAKHAND
Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431 E-Mail-cepwduea@rediffmail.com
Website-http://pwd.uk.gov.in

पत्रांक:- 36/82 व्यग-अधि0-03/13

दि0-09/01/14

सेवा में,

सचिव,

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्
रुड़की (हरिद्वार)।

विषय:- लोक सेवा आयोग के परिधि के बाहर समूह 'ग' की सीधी भर्ती हेतु अधियाचन करने के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- शासन का पत्र सं0:-1028/XXX(2)/2012-03(16)2012 दिनांक:-05.09.2013।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के अनुपालन में लो0नि0वि0, में लोक सेवा की परिधि के बाहर समूह 'ग' में खण्डीय कार्यालयों में सीधी भर्ती के अन्तर्गत कनिष्ठ सहाय राज्यधीन सेवाओं के अन्तर्गत आरक्षित श्रेणी के पूर्व में चली आ रही रिक्तियों को भरे जा अनुसूचित जनजाति में 1 पद व अन्य पिछड़ा वर्ग में 10 पदों की नियुक्ति हेतु अधियाचन प्रेषित जा रहा है।

संलग्न:-अधियाचन 2 प्रति में।

सेवानियमावली/तत्संबंधी शासनादेश।

भवदीय

प्रमुख अभियन्ता

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित:-

1. प्रमुख सचिव कार्मिक उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. प्रभारी सचिव लो0नि0अनु0-1, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।

संलग्न:-अधियाचन प्रारूप।

प्रमुख अभियन्ता
16/1

सीधी भर्ती-अध्यायन प्रपत्र

1 (क) पद का नाम- कनिष्ठ सहायक/सह डाटा एंट्री ऑपरेटर

(ख) क्या वह पद सृजित किया गया है, यदि हां, तो यह पद कब सृजित किया गया था-शा0सं0-1427 / III(1)/12-190(पी0डब्लू0डी0)/2001टी0सी0-IV दिनांक-01.01.2013 द्वारा सृजित।

(ग) श्रेणीवार पदों का विभाजन-

भरे जाने वाले पदों का विवरण	पदों की संख्या	क्षैतिज आरक्षण					
		महिला 30%	विकलांग 3%	पूर्व सैनिक 5%	स्वतंत्रता सं0से0आ0 2%	कुशल खिलाड़ी 4%	राज्य आन्दोलनकारी 10%
	2	3	4	5	6	7	8
अनुसूचित जनजाति	01	—	—	—	—	—	—
अ0पि0वर्ग	10	03	—	—	—	—	01
योग	11	03	—	—	—	—	01

टिप्पणी:- क्या विभाग द्वारा रोस्टर रखा जा रहा है और उपरोक्त रिक्तियां रोस्टर के अनुसार हैं ? यदि हां, तो रोस्टर के क्रमांक का स्पष्ट उल्लेख किया जाय:-

श्रेणी	रोस्टर क्रमांक
अनुसूचित जनजाति	172
अन्य पिछड़ा वर्ग	107, 114, 119, 128, 135, 142, 149, 154, 163, 170

(घ) यदि यह पद नया नहीं है, तो यह कब और कैसे रिक्त हुआ है ? शा0सं0-1427 / III(1)/12-190(पी0डब्लू0डी0)/2001टी0सी0-IV दिनांक-01.01.2013 द्वारा सृजित।

(च) 1. क्या पद पर किसी की स्थानापन्न नियुक्ति कर दी गयी है:-जी नहीं।

2. यदि हां, तो यह कब से इस पद पर कार्य कर रहा है:-

3. क्या उनकी स्थानापन्न नियुक्ति के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है:-

4. यदि अनुमोदन प्राप्त नहीं किया है, तो परिस्थितियां बताई जायें जिसमें सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन से नियुक्ति नहीं की जा सकी:-.....

(छ) क्या उक्त पद आयोग की परिधि के बाहर है:- जी हां।

(ज) सेवा का नाम, यदि कोई हो, जिससे उक्त पद सम्बन्धित है:-लोक निर्माण विभाग लिपिक/आशुलिपिक अधिष्ठान नियमावली।

(झ) क्या उक्त पद संवर्ग की उस संख्या में सम्मिलित है, जो सम्बन्धित सेवा नियमावली में दिखाई गयी है।

1. यदि नहीं, तो उक्त पदों के सृजन विषयक निर्गत शासनादेश/विज्ञप्ति का विवरण बतायें:- शा0सं0-1427 / III(1)/12-190(पी0डब्लू0डी0)/2001टी0सी0-IV दिनांक-01.01.2013

2. पद राजपत्रित या अराजपत्रित है:-अराजपत्रित।

3. क्या पद स्थायी अथवा अस्थायी है, यदि अस्थायी है, तो वह अवधि जत तक यह पद कायम रहेगा:-स्थायी।

4. क्या यह पेंशनयुक्त है अथवा बिना पेंशन का शा0सं0-21/XXVII(7)/अ0पे0यो0/2005 दिनांक-25.10.2005 के अनुसार।

5. परीक्षा अवधि, यदि कोई हो:- एक वर्ष

6. कर्तव्य:- कार्यालय अभिलेखों का रख-रखाव एवं प्रस्तुतिकरण/पत्र प्राप्ति एवं प्रेषण/कार्य।
7. चुने गये अभ्यर्थियों को कब तक कार्यग्रहण करना होगा:-नियुक्ति के एक माह के अन्दर।
8. वेतनमान ₹ 5200-20200 ग्रेड-पे ₹ 2000 एवं अन्य भत्ते।
9. निर्वाह निधि:-शा0सं0-21/ XXVII(7)/अ0पे0यो0/2005 दिनांक-25.10.2005 के अनुसार
10. कोई विशेष रियायत जैसे मुफ्त क्वार्टर, विद्युत, पेयजल, अनुभव आदि जैसी बातें सम्मि हैं:-नहीं।
11. अपेक्षित अर्हतायें:-
 - (क) अनिवार्य अर्हताएं जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अर्हताएं, प्रशिक्षण, अनुभव आदि जैसी बातें सम्मि हैं:-मान्यता प्राप्त बोर्ड/संस्थान से इण्टरमीडियेट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण तथा टंकण निर्धारित अर्हता प्राप्त/कम्प्यूटर में 4000KDPH की न्यूनतम गति (कम्प्यूटर का ज्ञान आवश्यक है)।
 - (ख) अधिमान्य अर्हताएं यदि कोई हों:-(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक की हो, या
 - (दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो
 - (ग) कोई अन्य अर्हताएं:-नहीं
 - (घ) यदि उपर्युक्त अर्हताएं किसी हद तक शिथिल की जा सकती हैं, तो वह किस हद तक किस नियम के अधीन ऐसा किया जा सकता है:-नहीं।
 - (ङ) क्या समकक्ष अर्हताएं स्वीकार की जायेंगी, यदि हां, तो समकक्ष अर्हताएं बताइए-नहीं।
12. आयु सीमायें:-
 - (क) निम्न आयु सीमा:- विज्ञप्ति जारी करने के 01 जुलाई को 18 वर्ष
 - (ख) उच्च आयु सीमा (यह बताइये कि क्या इस आयु सीमा को शिथिल किया जा सकता है, कितना और किस नियम के अधीन):-35 वर्ष सामान्य वर्ग हेतु अनु0जाति/जनजाति एवं पिछ जाति के लिये 05 वर्ष की छूट एवं विकलांग अभ्यर्थी हेतु 10 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
13. राष्ट्रीयता:- भारतीय।
14. क्या सरकारी कर्मचारी पात्र हैं:-यदि हां, तो क्या उनके पक्ष में किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा, यदि हां तो उन शर्तों (नियमों सहित) को बताइये जो उनके पक्ष में शिथिल की जायेंगी-आयु सीमा के अन्तर्गत।
15. कोई अन्य शर्त अथवा अर्हता जो उपर्युक्त प्रश्नों के अन्तर्गत नहीं आती-नहीं

अध्याचन प्राधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम

20/12